संख्या-8/2016/537/क0नि0प्र0/26-3-16-13(61)/2013

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ:दिनांक: 23 मई,2016
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2016-17

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक-582/कौ0वि0मि0/2016-17/एस.सी.ए. टू एस.सी.एस.पी. दिनांक 13 मई,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से उ0प्र0कौशल विकास मिशन के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध बजट प्राविधान में से रू0 45,00,00,000/- (रू0 पैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा आहरित कर मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ही

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियमानुसार व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि के व्यय/उपभोग की गयी धनराशि की सूचना यथा समय कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनराशि के व्यय की कार्यवाही योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।

4- वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितनी धनराशि की आवश्यकता वास्तविक रूप से हो, उतने का ही आहरण राजकोष से किया जाय। धनराशि आहरित करके बैंक/पी0एल0ए0 में कदापि न रखी जाय।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें(के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2016/बी-1/746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2016/537(1)/क0नि0प्र0/26-3-16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

5- मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।

7- एन0आई0सी0 की प्रति।

8- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ.प्र. शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।